उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-120/2017/727/92-2-17-37आरईएस/88

लखनऊ:: दिनांक:: 20 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री फखरूद्दीन खॉ, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाये जाने पर आरोप की गम्भीरता को द्रष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6521(4)/38-9-92-37आरईएस/88 दिनांक 06-11-1992 द्वारा निलम्बित किया गया तथा सिविल सर्विस रूल्स 55 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-168/38-9-92-37आरईएस/88,दि011-01-1993 द्वारा अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किया गया तथा शासन के पत्र सं0-3515/38-9-93-आरईएस-37/88 दिनांक 18-09-1993 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3442/62-7-94-आरईएस-37/88, दि0 29-10-1994 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के पत्र सं0 -1361/ग्रा0अ0से0/जांच-गाजीपुर/97-98 दिनांक 07-08-2010 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप पत्र, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री फखरूददीन खॉ, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर पर अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने पर श्री खॉ के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-01-1993 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-120/2017/727/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री फखरूददीन खॉ,तत्का0सहा0अभि0, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रा0 अ0वि0 ,प्रखण्ड-फतेहपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-गोरखपुर को सूचनार्थ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in